प्रपत्र –3

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

परियोजना का नाम :– रूद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयत्र का निर्माण कार्य

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

संलग्न।

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

प्रेष्य,

अधिशासी अभियन्ता,
पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः 38 /जि.यो. 21–22(अर्थ एवं संख्या)/2021–22 दिनांकः 18-नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2021

विषयः– **<u>वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय जिला योजना के अन्तर्गत कार्यों हेतु वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या–941/14(150)/2017/XXVII(1)/2021/वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021 के क्रम .में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु द्वितीय किस्त में ₹ 1157.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार स्वीकृतियां जारी करने हेतु धनराशि अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखी गयी है। जिला योजना वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत संचालित चालू/वचनबद्ध एवं नई योजनाओं हेतु पेयजल विभाग द्वारा ₹ 64.36 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः जिला योजना वर्ष 2021–22 में पेयजल विभाग हेतु सामान्य (अनुदान संख्या–07) में ₹ 49.36 लाख एवं एस.सी.पी. (अनुदान संख्या–30) में ₹ 15.00 लाख अर्थात् कुल ₹ 64.36 लाख (चौंसठ लाख छत्तीस हजार रू0) की धनराशि अवमुक्त करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर मात्राकृत आयोजनागत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त की ली जायें।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा शासनादेश वित्त (वि0आ0–सा0नि0)–अनुभाग–7 के पत्र संख्याः 80/XXVII(7)/2008 दिनांकः 15 जून, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट/संशोधन) नियमावली, 2015/वित्त (वि0आ0–सा0नि0)–अनुभाग–7 के पत्र संख्याः 130/XXVII(7)/32/2017 दिनांकः 14 जुलाई 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के सुसंगत वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा। योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि से कराये जा रहे विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होंगें।
7. धनराशि का उपयोगोपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची, उनका व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग तथा प्रशासकीय विभाग/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजनाओं की माहवार/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 3 तारीख तक जनपदीय नियोजन विभाग/मण्डल/शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

9. निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में विभागीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये। निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना में जनपदवार अनुमोदित प्लान आलेख एवं योजना के अनुसार धनराशि का आहरण एवं उपयोग की तत्काल आवश्यकता है। आहरित धनराशि का व्यय दिनांकः 31.03.2022 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।

11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशा0 पत्र संख्याः 475/125/रा.यो.आ./2018–19 टी.सी.–I देहरादूनः दिनांकः 02.04.2021 के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी (जिला योजना) एवं कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

12. निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांकः 24 मार्च, 2008 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलास्तर/मण्डलस्तर पर गठित तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से योजनाओं के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही इन योजनाओं पर धनराशि व्यय की जाए।

13. शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

14. जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष को बुक ट्रान्सफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. किसी भी दशा में पी.एल.ए. से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

16. सम्बन्धित विभाग ऑन लाईन बजट आवंटन के पश्चात अपने डी.डी.ओ. मॉड्यूल से बजट को पी.एल.ए./डी.सी.एल. में स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक /जि0यो0/2021–22 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–
1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव वित्त (बजट अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपर सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6– मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी महोदय

वित्तीय वर्ष 2021–22 की जिला योजना के अन्तर्गत **पेयजल निगम**, विभाग के कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु जिला योजना समिति द्वारा कुल **रू0 319.36 लाख** का अनुमोदन किया गया ।

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 549 / जि0यो0–03 / 2021–22 दिनांक 30 अक्टूबर 2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021–22 के जिला योजना के अन्तर्गत विभाग की अनुमोदित चालू / नई योजनाओं / बचनबद्ध कार्यक्रमों हेतु अनुमोदन परिव्यय रू0 319.36 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त हेतु योजनावार / मदवार निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जानी है।

(धनराशि लाख रू0)

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 2021–22 में अनुमोदित परिव्यय	वर्ष 2021–22 में पूर्व में अवमुक्त धनराशि	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु धनराशि	वर्तमान में अपेक्षित स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति			
					सामान्य	अनु0 जाति	टी0एस0पी0	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पेयजल योजना का नव निर्माण / रखरखाव / सुदृढ़ीकरण आदि	319.36	255.00	64.36	49.36	15.00	0.00	64.36

अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत **पेयजल निगम** विभाग के उक्त कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु रू0 64.36 लाख (रू0 चौंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्रालेख महोदय के सम्मुख हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। यह भी प्रमाणित किया जाता है :–

1– उक्त मदों में किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि का आहरण / आवंटन नहीं किया गया है।
2– उक्त धनराशि जिला योजना वर्ष 2021–22 में स्वीकृत है।
3– धनराशि का व्यय सम्बन्धित मानकों के अनुसार करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पेयजल निगम का होगा।
4– उक्त धनराशि को किसी भी बैंक खाते में पार्क नहीं किया जायेगा।
5– उक्त धनराशि जिला योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुमोदित चालू / नई योजनाओं / बचनबद्ध कार्यक्रमों में ही व्यय किया जायेगा।

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पे0ज0नि0
रूद्रप्रयाग

11.11.21
(DESTO)

11/11/2021
CDO

As proposed
17/11/21

जिला योजना 2021–22 के अन्तर्गत द्वितीय किस्त की मांग का विवरण।

सामान्य (अनुदान संख्याः– 07)

धनराशि ₹ लाख में

क्र0	मद / योजना का नाम	योजना की अनु0 लागत	अनुमोदन का वर्ष	31 मार्च 2021 तक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	बजट प्राविधान 2021–22	2021–22 में प्रथम किस्त हेतु प्रस्तावित धनराशि	2021–22 में द्वितीय किस्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7		8
	चालू योजनायें							
1	ग्राम पंचायत बैंजी काण्डई के जागतोली में पाइप लाइन नवीनीकरण	34.67	2018-19	16.00	18.67	18.67	18.67	0.00
2	ग्राम सभा क्यूंजा में गडेडी के छोडा तोक से रा0ऐ0चि0 रा0प्रा0वि0 क्यूंजा एवं कालिका मन्दिर पेयजल निर्माण	41.18	2018-19	18.00	23.18	23.18	23.18	0.00
3	ग्राम सन् बांगर में पेयजल का निर्माण	77.58	2018-19	74.54	3.04	3.04	3.04	0.00
4	ग्राम खोड के गुरबा कुमसीला तोक में पेयजल योजना निर्माण	99.78	2018-19	52.00	47.78	47.78	47.78	0.00
5	मवाण पे0यो0	70.50	2018-19	32.00	38.50	38.50	38.50	0.00
6	हरियाली धार से कमेड़ा पे0यो0	36.38	2019-20	1.00	35.38	35.38	35.38	0.00
	योग	**360.09**	**0.00**	**193.54**	**166.55**	**166.55**	**166.55**	**0.00**
	नई पेयजल योजनायें							
1	रूद्रप्रयाग नगर पे0यो0 के अन्तर्गत वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निर्माण कार्य (सामान्य)	333.03	2021-22	0.00	333.03	59.94	26.45	33.49
2	धिमतोली हैण्डपम्प आधारित पम्पिंग पे0यो0	21.03	2021-22	0.00	21.03	21.03	15.00	6.03
3	बामसू चौंथला पे0यो0 मरम्मत एवं रखरखाव	5.52	2021-22	0.00	5.52	5.52	2.00	3.52
4	बजूण पे0यो0 श्रोत संर्वधन कार्य	8.30	2021-22	0.00	8.30	6.25	5.00	1.25
5	स्यूणी पे0यो0 मरम्मत एवं रखरखाव	5.41	2021-22	0.00	5.41	5.41	5.00	0.41
6	ढौंडिक सोलर पम्पिंग पे0यो0 मरम्मत एवं रखरखाव	11.11	2021-22	0.00	11.11	9.66	5.00	4.66
	योग	**384.40**	**0.00**	**0.00**	**384.40**	**107.81**	**58.45**	**49.36**
	कुल योग एम0एन0पी0	**744.49**	**0.00**	**193.54**	**550.95**	**274.36**	**225.00**	**49.36**

एस0सी0पी0 (अनुदान संख्याः– 30)

धनराशि ₹ लाख में

क्र0	मद / योजना का नाम	योजना की अनु0 लागत	अनुमोदन का वर्ष	31 मार्च 2021 तक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	बजट प्राविधान 2021–22	2021–22 में प्रथम किस्त हेतु प्रस्तावित धनराशि	2021–22 में द्वितीय किस्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7		9
	चालू योजनायें							
1	नवासू अनु0ज0 पे0यो0	17.84	2018-19	7.90	9.94	9.94	9.94	0.00
	योग	**17.84**		**7.90**	**9.94**	**9.94**	**9.94**	**0.00**
	नई पेयजल योजनायें							
1	रूद्रप्रयाग नगर पे0यो0 के अन्तर्गत वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का निर्माण कार्य (एस0सी0पी0)	17.53	2021-22	0.00	17.53	15.06	10.06	5.00
2	एस0सी0 बस्ती तोली तोक पे0यो0	15.00	2021-22	0.00	15.00	10.00	5.00	5.00
3	महादेव मन्दिर से कुमोली एस0सी0 बस्ती पे0यो0	15.00	2021-22	0.00	15.00	10.00	5.00	5.00
	योग	**47.53**		**0.00**	**47.53**	**35.06**	**20.06**	**15.00**
	योग एस0सी0पी0	**65.37**		**7.90**	**57.47**	**45.00**	**30.00**	**15.00**
	कुल योग जिला योजना	**809.86**		**201.44**	**608.42**	**319.36**	**255.00**	**64.36**

अधिशासी अभियन्ता

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

DM Rudraprayag(8010)

Treasury-Rudraprayag(9000)

DDO-District Magistrate For Grants Rudraprayag(4183)

आवंटन पत्र संख्या -15
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21110070166
आवंटन पत्र दिनांक-09-NOV-2021

लेखा शीर्षक		
	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	00--
	102-सामुदायिक विकास	91-जिला योजना
	12-जिला योजना रूद्रप्रयाग के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त व्यवस्था	Voted

2	5	1	5	0	0	1	0	2	9	1	1	2

प्रोजैक्ट का नाम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
P8013161704808:pajal yojanavo ka rakrakhav and sudhikaran2021-2022	42-अन्य विभागीय व्यय	0	4936000	4936000
योग		0	4936000	4936000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.49,36,000 (Rupees Forty Nine Lacs Thirty Six Thousand Only)

प्रोजैक्ट का नाम	प्रतिबंध लागत	टी ए सी लागत (निर्माण)	टी ए सी लागत (वसूली)	समायोजित मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
pajal yojanavo ka rakrakhav and sudhikaran2021-2022	27600000	0	0	0	0	22500000	22500000

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

DM Rudraprayag(8010)

Treasury-Rudraprayag(9000)

DDO-District Magistrate For Grants Rudraprayag(4183)

आवंटन पत्र संख्या -16
अनुदान संख्या-030

आवंटन आई डी-H21110300065
आवंटन पत्र दिनांक-09-NOV-2021

लेखा शीर्षक	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	00--
	102-सामुदायिक विकास	91-जिला योजना
	12-जिला योजना रूद्रप्रयाग के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त व्यवस्था	Voted

2	5	1	5	0	0	1	0	2	9	1	1	2

प्रोजैक्ट का नाम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
P8013161704809:pajal yojanavo ka rakrakhav and sudhikaran SCP 2021-2022	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1500000	1500000
योग		0	1500000	1500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.15,00,000 (Rupees Fifteen Lacs Only)

प्रोजैक्ट का नाम	प्रतिबंध लागत	टी ए सी लागत (निर्माण)	टी ए सी लागत (वसूली)	समायोजित मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
pajal yojanavo ka rakrakhav and sudhikaran SCP 2021-2022	4500000	0	0	0	0	3000000	3000000

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग